

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2014—भाद्र 11, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-4-पच्चीस-3.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगरपालिक निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के समस्त स्वास्थ्य अधिकारियों को नगरीय निकाय की उनकी अधिकारिता के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी इस अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) में वर्णित प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है.

No. F-12-32-2013-4-XXV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 20 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, Appoints all Health Officers of Municipal Corporations, Nagar Palika and Nagar Panchayats as Inspector for the purpose of this Act, within their jurisdiction of urban body and also appoints Chief Executive Officer of Janpad Panchayats as Inspector for the purpose of this Act mentioned in sub-section (2) of Section 20.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.